

फोन :
फैक्स :

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रारम्भिक शिक्षा) १३-८०७ राजस्थान

संख्याक : ५०८

दिनांक : ३०-६-११

प्रबन्धक

ज्योति विद्यापीठ
कृष्णगढ़ ज़िले

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम ।। के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण-पत्र।

पहोचय / महोदय,

5

आपके दिनांक ।।/।।/।। के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ प्रश्नात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मैं ज्योति विद्यापीठ बगड़ ज़िले दिनांक २०/८/१।। से दिनांक तक तीव्र वर्ष की अवधि के लिए कक्षा से कक्षा तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्ययोग्य हैं:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-८ के पश्चात मान्यता/संबंधन के लिए कोई वार्षिकता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपावंश 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपावंश 2) के संपर्कों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के २५ प्रतिशत तक आस-पड़ौस के कमजोर वर्गों और अलाभपद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-३ में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 (2) के उपरबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, झुन्झुनू

Page 26 of 28